

## **Disclaimer**

The Institute of Chartered Accountants of India has given the right of translation of the study material in Hindi to third parties and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original study material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer the English version.

## **अस्वीकरण**

द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार तीसरे पक्ष को दिया है और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालाँकि मूल अध्ययन विषय-वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है। यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

**पेपर – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून**

1. प्रश्न पत्र में 6 प्रश्न होते हैं। प्रश्न सं. 1, जो अनिवार्य है, का उत्तर दें और बाकी के 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दें।
2. उत्तर में वर्किंग नोट्स होने चाहिए।
3. सभी प्रश्नों के उत्तर (i) जीएसटी कानूनों के अनुसार 30 अप्रैल, 2021 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं परिपत्रों द्वारा संशोधित और (ii) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017, वित्त अधिनियम, 2020 और वित्त (सं.2) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित, जो 30 अप्रैल, 2021 तक प्रभावी हो गए हैं और (ii) वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित सीमा शुल्क कानून एवं 30 अप्रैल, 2021 तक जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाएं परिपत्र, के आधार पर दिया जाना चाहिए।

**प्रश्न 1**

केरल राज्य में जीएसटी के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता प्रिया इंफ्रा लिमि., निर्माण व्यवसाय के क्षेत्र में है। इसने अप्रैल, 2021 के माह के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

क्र. सं.	व्यौरा	धनराशि (रु.)
	<b>जावक आपूर्ति:</b>	
(i)	केरल के त्रिवेंद्रम में अपने प्रधान कार्यालय से केरल के कोचीन में अपनी शाखा में टाइलों की एक खेप भेजा। दोनों ही स्थान एक ही जीएसटी पंजीकरण के अधीन हैं।	7,50,000
(ii)	बेंगलुरु (कर्नाटक) में उपभोक्ता के लिए किसी भी परिसर का हिस्सा न बनने वाली एकल वाणिज्यिक इकाई में निर्माण हेतु शुद्ध श्रम सेवाएं प्रदान कीं।	15,00,000
(iii)	समुद्री सीमा में क्लासिक बिल्डर्स एलएलपी को मार्बल की एक खेप की आपूर्ति की। कथित समुद्री सीमा केरल राज्य की बेसलाइन से 11 समुद्री मील और तमिलनाडु राज्य की बेसलाइन से 12 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है।	6,00,000
(iv)	केरल में एक ग्राहक से वस्तुओं एवं सेवाओं की भावी आपूर्ति हेतु अग्रिम प्राप्त किया ( जिसमें से 70% भविष्य में सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है)।	7,00,000
(v)	व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को केरल में रहने वाले असंबंधित व्यक्ति को निःशुल्क दिया गया था, यह कंप्यूटर 2 वर्ष पूर्व 88,500 रु. (13,500 रु. की जीएसटी समेत) में खरीदा गया था, बिक्री की तिथि पर डब्ल्यू.डी.वी. 71,685 रु. थी। खुले बाजार में कीमत 55,000 रु. (जीएसटी को छोड़कर) है। खरीदते समय इस कंप्यूटर पर कोई आईटीसी नहीं लिया गया था।	शून्य
	<b>आवक आपूर्ति:</b>	
(i)	रेरा अधिनियम से संबंधित मामले को निपटाने के लिए त्रिवेंद्रम, केरल में मध्यस्थ	7,00,000

	न्यायाधिकरण की सेवाओं का लाभ उठाया।	
(ii)	आंध्रप्रदेश राज्य में पंजीकृत बाहू स्टील्स लिमि. से खरीदी गई निर्माण सामग्री	15,00,000
(iii)	सामग्रियों के परिवहन के लिए कोचीन, केरल में एक डीलर से एक नया ट्रक खरीदा	12,00,000

कंपनी ने निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी प्रदान की:

- (i) माह के दौरान कोचीन स्थित एक स्वतंत्र निदेशक को वेतन के रूप में 6,00,000 रु. का भुगतान किया।
- (ii) कंपनी ने सभी लागू करों सहित खरीदे गए नए ट्रक पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत मूल्यहास का दावा किया।
- (iii) ई-चालान पोर्टल दर्शाता है कि बाहू स्टील्स लिमिटेड का जीएसटी नंबर ई-चालान के लिए योग्य है। हालांकि, आपूर्तिकर्ता ने चालान संदर्भ संख्या (आईआरएन) के साथ ई-चालान कर चालान जारी नहीं किया है। चालान जीएसटीआर-2 ए में परिलक्षित होता था।
- (iv) पिछले वित्त वर्ष के लिए प्रिया इंफ्रा लिमि. का टर्नओवर 180 लाख रुपये था।
- (v) वस्तु और सेवाओं की आवक एवं जावक आपूर्ति दोनों के लिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की दरें क्रमशः 9%, 9% और 18% हैं।
- (vi) ऊपर दी गई सभी धनराशियां, जहां लागू हों, वहां, करों को छोड़कर हैं।

ऊपर दी गई जानकारी से, आपको अप्रैल 2021 के माह के लिए नकद (सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, जैसा कि मामला हो सकता है) में दे न्यूनतम शुद्ध जीएसटी की गणना करनी होगी। इसका कारण भी बताना होगा। (14 अंक)

**उत्तर**

**अप्रैल 2021 के लिए प्रिया इंफ्रा लिमि. द्वारा नकद में देय न्यूनतम शुद्ध जीएसटी की गणना**

ब्यौरा	सीजीएसटी (रु.)	एसजीएसटी (रु.)	आईजीएसटी (रु.)
<b>आवक माल खर्च के तहत देय जीएसटी</b>			
केरल में शाखाओं को टाइल्स भेजना [इस प्रकार माल का भेजा जाना आपूर्ति नहीं है क्योंकि शाखा और प्रधान कार्यालय का जीएसटीआईएन एक ही है, और इसलिए, यह एक अलग इकाई नहीं है]	-	-	-
बेंगलुरु में एकल वाणिज्यिक इकाई के निर्माण हेतु शुद्ध श्रम सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति [एक आवासीय परिसर के हिस्से के अलावा एकल आवासीय इकाई से संबंधित मूल कार्यों के निर्माण के शुद्ध श्रम अनुबंधों के माध्यम से सेवाओं को छूट दी गई है। इसलिए, एक वाणिज्यिक इकाई के संबंध में ऐसी सेवाएं कर योग्य]			2,70,000 [15,00,000 x 18%]

**पेपर – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून**  
(PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 3

होंगी।]			
समुद्री सीमा में वस्तु की आपूर्ति [जहां समुद्री सीमा में आपूर्ति की गई है, आपूर्ति का स्थान तटीय राज्य माना जाता है जहां उपयुक्त आधार रेखा का निकटतम स्थान स्थित है। इसलिए, आपूर्ति का स्थान बेसलाइन से निकट होने के कारण केरल में होगा और इसलिए आपूर्ति अंतर-राज्यीय आपूर्ति होगी।]	54,000 [6,00,000 x 9%]	54,000 [6,00,000 x 9%]	
केरल में ग्राहक से अग्रिम की प्राप्ति [कर केवल सेवाओं हेतु अग्रिम पर देय होगा। वस्तुओं के मामले में, कर चालान जारी करने के समय देय होता है न कि अग्रिम की प्राप्ति के समय।]	44,100 [7,00,000 x 70% x 9%]	44,100 [7,00,000 x 70% x 9%]	
असंबंधित ग्राहक को निःशुल्क दिया गया कंप्यूटर [चूंकि कंप्यूटर पर आईटीसी नहीं ला गया है, किसी असंबंधित ग्राहक को बिना किसी विचार के उसका स्थायी हस्तांतरण सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची I के अनुसार आपूर्ति नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, चूंकि आईटीसी नहीं लिया गया है, कंप्यूटर के शेष उपयोगी जीवन के कारण आईटीसी को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।]	-	-	
कुल आउटपुट जीएसटी	98,100	98,100	2,70,000
घटाएं: इनपुट टैक्स क्रेडिट [नीचे दिए वर्किंग नोट को देखें] [सीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग पहले सीजीएसटी देयता के भुगतान के लिए और फिर उसी क्रम में आईजीएसटी देयता के भुगतान के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार, एसजीएसटी क्रेडिट का उपयोग पहले एसजीएसटी देयता के भुगतान के लिए और फिर उसी क्रम में आईजीएसटी देयता के भुगतान के लिए किया जाएगा। सीजीएसटी के आईटीसी का उपयोग एसजीएसटी के भुगतान के लिए और इसके विपरीत क्रम में नहीं किया जा सकता।]	98,100	98,100	18,900 (सीजीएसटी)
	-	-	18,900 (एसजीएसटी)
नकद में देय शुद्ध आउटपुट जीएसटी [ए]	शून्य	शून्य	2,32,200
<b>रिवर्स चार्ज के तहत देय जीएसटी</b>			
मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर सेवाप्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत देय है।	63,000	63,000	

निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक पर कर सेवा के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के तहत देय है।	54,000	54,000	
रिवर्स चार्ज के तहत नकद में देय जीएसटी [बी] [रिवर्स चार्ज के तहत देय कर, आउटपुट कर नहीं होने के कारण, आईटीसी के खिलाफ समंजन नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, नकद में भुगतान करना होगा।]	1,17,000	1,17,000	
<b>नकद में देय न्यूनतम शुद्ध जीएसटी [ए] + [बी]</b>	<b>1,17,000</b>	<b>1,17,000</b>	<b>2,32,200</b>

**वर्किंग नोट:**

**अप्रैल 2021 के लिए प्रिया इंफ्रा लिमि. के पास उपलब्ध आईटीसी की गणना**

ब्यौरा	सीजीएसटी (₹.)	एसजीएसटी (₹.)	आईजीएसटी (₹.)
एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण की सेवाएं [एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पिछले वित्त वर्ष में पंजीकरण की सीमा तक कुल कारोबार वाली व्यावसायिक इकाई को दी जाने वील सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं। इस प्रकार, प्रिया इंफ्रा लिमि. को मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी जाने वील सेवाएं, एक व्यावसायिक इकाई जिसका पिछले वित्त वर्ष में कुल कारोबार पंजीकरण के लिए लागू सीमा से अधिक है [यानि 20 लाख ₹., केरल राज्य में वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता होने के नाते] कर देने का उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं के रूप में, आईटीसी उस पर उपलब्ध होगी।]	63,000 [7,00,000 x 9%]	63,000 [7,00,000 x 9%]	
बाहू स्टील्स लिमि. से सामग्रियों की खरीद [आईआरएन के बिना ई-चालान को चालान नहीं माना जाता है और इसलिए, बिना वैध दस्तावेज के, ऐसे इनपुट पर आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है।]	-	-	
ट्रक की खरीद [माल के परिवहन के लिए उपयोग किया जाने वाला मोटर वाहन क्रेडिट योग्य है। हालांकि, चूंकि लागू करों पर भी मूल्यहास का दावा किया गया है ऐसे ट्रक की खरीद पर भुगतान किए गए कर के आईटीसी का दावा नहीं किया जा सकता है।]	-	-	
कोचीन स्थित स्वतंत्र निदेशक को वेतन का भुगतान	54,000	54,000	

**पेपर – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून**  
(PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 5

[कर्मचारी द्वारा नियोक्ता को उसके रोजगार के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाएं आपूर्ति नहीं हैं। हालांकि, स्वतंत्र निदेशक कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं और इसलिए, उन्हें दिया गया वेतन कर योग्य है। इसके अलावा, व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं के रूप में, आईटीसी उस पर उपलब्ध होगी।]	[6,00,000 x 9%]	[6,00,000 x 9%]	
<b>कुल आईटीसी</b>	<b>1,17,000</b>	<b>1,17,000</b>	

**प्रश्न 2**

(क) जूपिटर केमिकल्स लिमि. (जेसी) औद्योगिक रसायनों का निर्माता है। हरिद्वार, उत्तराखंड में इसका कारखाना है और जीएसटी के तहत पंजीकृत है। इसकी एक सहायक कंपनी है, एंजल ट्रेडर्स प्रा. लिमि. (एटी), जिसका 75% शेयर पूंजी इसके पास है। एटी उत्तर भारत में जेसी द्वारा निर्मित रसायनों का व्यापार करती है और दिल्ली स्थित गोदाम के पते पर जीएसटी के तहत पंजीकृत है। जेसी ने चेन्नई में एक कन्साइन्मेंट एजेंट- पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स (पीडी) को भी नियुक्त किया है जो दक्षिण भारत के बाजार की मांग को पूरा कर रहा है। जेसी ने हरिद्वार के कारखाने के पास एक प्रयोगशाला के साथ अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी बनाया है और देश भर में बाहरी ग्राहकों को रसायनों के लिए परीक्षण एवं विकास सेवाएं भी प्रदान करता है। अप्रैल 2021 के महीने के लिए जेसी हरिद्वार ने निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराई है:

क्र.सं.	व्यौरा	राशि (रु.)
(i)	जेसी माह के दौरान पीडी चेन्नई को रसायनों की आपूर्ति करता है। (पीडी ने उक्त माल को उसी माह के दौरान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों के असंबंधित थोक विक्रेताओं को 60,00,000 रु. में बेचा)। खुले बाजार में मूल्य 55,00,000 रु. है।	45,00,000
(ii)	जेसी ने माह के दौरान एटी को रसायनों की आपूर्ति की। (एटी ने कथित रसायनों को दिल्ली में असंबंधित खुदरा व्यापारियों को 42,00,000 रु. में बेचा और एटी पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट का पात्र नहीं है)। खुले बाजार में इसकी कीमत 38,00,000 रु. है।	30,00,000
(iii)	जेसी आईजीएसटी के भुगतान के साथ दक्षिण अफ्रीका को रसायनों का निर्यात करता है और इसके बदले उसे परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा मिली थी।	28,00,000
(iv)	जेसी ने माह के दौरान विभिन्न ग्राहकों को जांच सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति प्रदान की।	8,50,000
(v)	मुंबई में अपने एक ग्राहक को रसायन की आपूर्ति, जो प्रेषण पूर्व रसायन की जांच करवा लेना चाहता है और आपूर्ति उसके मानकों के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के अधीन है। जांच सफल रही और अतिरिक्त 50,000 रु. जांच शुल्क के तौर पर लिए गए।	6,50,000 (जांच शुल्क को छोड़कर)
(vi)	हरिद्वार, उत्तराखंड में असंबंधित धर्मार्थ संघ को अनुसंधान एवं विकास	5,00,000

**फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021**  
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

गतिविधि के लिए रियायती दर पर रसायन की आपूर्ति जो जेसी के व्यवसाय से संबंधित नहीं है। रसायन का खुला बाजार मूल्य 6,50,000 रु. है।
---

मान लें कि रसायनों पर जीएसटी की दरें इस प्रकार हैं आईजीएसटी-12%, सीजीएसटी-6% और एसजीएसटी-6%, एवं जांच और विकास सेवाओं के लिए आईजीएसटी-18% और एसजीएसटी-9% है।

आपको अप्रैल 2021 के माह के लिए जूपिटर केमिकल्स (जेसी) हरिद्वार के कर योग्य मूल्य (सबसे अधिक लाभकारी) और जीएसटी देयता (आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, अलग से) निर्धारित करना है। (9 अंक)

- (ख) पंजाब के औजारों एवं पुर्जों के निर्माता पीपीआर इंजीनियरिंग अमेरिका से एक सीएनसी मशीन का आयात करते हैं। आयात के लिए अनुबंधित सीआईएफ मूल्य 15,500 अमेरिकी डॉलर था। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मशीन की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण, ऑर्डर देने के बाद मशीन की कीमत पर फिर से बातचीत की गई और आखिरकार मशीन को 14,000 अमेरिकी डॉलर सीआईएफ पर आयात करने पर सहमति बनी। 3,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान बतौर वास्तविक भाड़ा किया गया था और बीमा लागत 1,800 अमेरिकी डॉलर थी। अन्य जानकारीयां नीचे दी गई हैं:

- (i) विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई जांच की लागत 300 अमेरिकी डॉलर थी और न तो अनुबंध की शर्तों के तहत और न ही माल को भेजने हेतु तैयार करने के लिए इसकी आवश्यकता थी।
- (ii) निर्यातक के स्थानीय एजेंट को देय कमीशन 184 अमेरिकी डॉलर था। (यह खरीद कमीशन नहीं है)।
- (iii) प्रविष्टि प्रस्तुति के बिल की तिथि 25 फरवरी 2021 है। इस तिथि पर, बीसीडी की दर 10% है, सीबीआईसी द्वारा 1 अमेरिकी डॉलर के लिए अधिसूचित विनिमय दर 73 रु. है, आरबीआई की दर 71 रु. है।
- (iv) सीमा शुल्क स्टेशन पर विमान के आगमन की तिथि 5 मार्च 2021 है। इस तिथि पर, बीसीडी की दर 15% है, सीबीआईसी द्वारा 1 अमेरिकी डॉलर के लिए अधिसूचित विनिमय दर 74 रु. है, आरबीआई की दर 72 रु. है।

आपको मूल्यांकन योग्य मूल्य की गणना एवं पीपीआर इंजीनियरिंग द्वारा देय मूल सीमा शुल्क की गणना करनी है। (5 अंक)

**उत्तर**

- (क) अप्रैल 2021 के माह के लिए जूपिटर रसायन (जेसी) हरिद्वार के कर योग्य मूल्य और जीएसटी देयता का निर्धारण

क्र.सं.	व्यौरा	कर योग्य मूल्य (रु.)	सीजीएसटी (रु.)	एसजीएसटी (रु.)	आईजीएसटी (रु.)
(i)	कन्साइन्मेंट एजेंट- पीडी, चेन्नई को रसायनों की अंतर-राज्यीय आपूर्ति [मूल्य, आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर, है:	54,00,000*			6,48,000 [54,00,000 × 12%]
(i)	खुला बाजार मूल्य (ओएमवी) [55,00,000]				

**पेपर – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून**  
(PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 7

	या (ii) एक जैसी एवं गुणवत्ता वाली वस्तुओं के लिए असंबंधित ग्राहकों से 90% मूल्य लिया गया जो आगे ऐसे माल की आपूर्ति करते हैं (60,00,000 रु. का 90%) <sup>1]</sup>				
(ii)	संबंधित व्यक्ति को रसायनों की अंतरराज्यीय आपूर्ति - एटी [संबंधित व्यक्ति को माल की आपूर्ति का मूल्य जो आपूर्तिकर्ता के विकल्प पर इस तरह के सामान की आपूर्ति करता है, वह है: (i) ओएमवी, यदि ओएमवी उपलब्ध है [38,00,000 रु.] या (ii) एक जैसी एवं गुणवत्ता वाली वस्तुओं के लिए असंबंधित ग्राहकों से 90% मूल्य लिया गया (42,00,000 रु. का 90%) <sup>2]</sup>	37,80,000*			4,53,600 [37,80,000 × 12%]
(iii)	दक्षिण अफ्रीका को रसायनों का निर्यात	28,00,000	--	--	3,36,000 [28,00,000 × 12%]
(iv)	जांच सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति	8,50,000			1,53,000 [8,50,000 × 18%]
(v)	मुंबई में ग्राहक को रसायन की अंतर-राज्यीय आपूर्ति [वस्तुओं की डिलवरी के समय/ पहले वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई किसी भी चीज के लिए ली जाने वाली कोई भी राशि आपूर्ति के मूल्य में शामिल होगी।]	7,00,000			84,000 [7,00,000 × 12%]
(vi)	हरिद्वार में एक असंबंधित धर्मार्थ संघ को रसायन की अंतरराज्यीय आपूर्ति	5,00,000	30,000 [5,00,000 × 6%]	30,000 [5,00,000 × 6%]	

<sup>1</sup> यह माना गया है कि प्रश्न में "उपरोक्त कथित माल" का अर्थ है एक जैसी और गुणवत्ता वाली वस्तुएं।

<sup>2</sup> यह माना गया है कि प्रश्न में "उक्त रसायन" शब्द का अर्थ है एक जैसी और गुणवत्ता वाले रसायन।



**फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021**  
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

[असंबंधित प्राप्तकर्ता को आपूर्ति के मामले में जहां कीमत आपूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल है, आपूर्ति का मूल्य लेनदेन मूल्य है जो आपूर्ति के लिए वास्तव में भुगतान किया गया मूल्य है।]				
<b>कुल</b>	<b>1,40,30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>16,74,600</b>

\*ध्यान दें: चूंकि प्रश्न में आपूर्ति के सबसे लाभकारी कर योग्य मूल्य की गणना करने की आवश्यकता होती है, इसलिए दो मूल्यों में से कम को आपूर्ति के मूल्य के रूप में लिया गया है।

**(ख) निर्धारणीय मूल्य और देय मूल सीमा शुल्क की गणना**

व्यौरा	धनराशि (\$)
सीआईएफ मूल्य	14,000
[लेनदेन मूल्य पुनः हुई वार्ता वाला मूल्य है क्योंकि यह वास्तव में भुगतान/ देय मूल्य है।]	
घटाएं: हवाई माल भाड़ा	3,000
घटाएं: बीमा	<u>1,800</u>
एफओबी मान	9,200
जोड़ें: विक्रेता जांच शुल्क	शून्य
[शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह खरीददार द्वारा विक्रेता को आयातित माल की बिक्री की शर्त के रूप में किया गया भुगतान नहीं है]	
जोड़ें: निर्यातक के स्थानीय एजेंट को देय कमीशन	<u>184</u>
[शामिल किए जाने योग्य है क्योंकि यह खरीद कमीशन नहीं है <sup>3</sup> ]	
सीमा शुल्क के अनुसार एफओबी मान	9,384
जोड़ें: मालभाड़ा	1,876.80
[चूंकि माल हवाई मार्ग से आयात किया जाता है इसलिए एफओबी मूल्य के 20% तक सीमित]	
जोड़ें: वास्तविक बीमा शुल्क	<u>1,800</u>
	13,060.80
विनिमय दर प्रति डॉलर 73 रु. है	
[आगम-पत्र दाखिल करने की तिथि पर सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित विनिमय दर]	
	<b>रु.</b>
निर्धारणीय मूल्य [13,060.80 डॉलर × 73 रु.]	9,53,438.40
मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) @ 15% (पूर्णांक)	1,43,016
[बीसीडी की दर आगम-पत्र की प्रस्तुति की तिथि या विमान के आगमन की तिथि, जो भी बाद में हो, पर लागू दर है।]	

<sup>3</sup> यह माना गया है कि निर्यातक द्वारा स्थानीय एजेंट को नियुक्त किया गया है।

**पेपर – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून**  
(PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 9

**प्रश्न 3**

- (क) जीएसटी के तहत पंजीकृत ए2एक्स सर्विसेस लिमिटेड विभिन्न शिक्षण संस्थानों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। कंपनी अप्रैल 2021 के महीने के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करती है:

क्र. सं.	दी गई सेवाओं का विवरण
(i)	डीम्ड यूनिवर्सिटी 'लव ऑल' के छात्रों एवं कर्मचारियों का परिवहन
(ii)	'रैंक सीबीएसई स्कूल' को प्रदान की गई खानपान सेवाएं
(iii)	भारत सरकार के स्वामित्व वाले साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित वार्षिक खेल दिवस के लिए 'विन सीबीएसई स्कूल' को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएं
(iv)	अपने उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए 'मेरिट सीबीएसई स्कूल' को ऑनलाइन आवधिक विज्ञान पत्रिका की आपूर्ति
(v)	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण महाविद्यालय 'स्किल' को छात्रों की प्लेसमेंट संबंधी सेवाएं

जीएसटी कानून के तहत उपरोक्त लेनदेन की कर योग्यता या अन्यथा पर टिप्पणी करें। इसके लिए सही कानूनी प्रावधान भी बताएं। (5 अंक)

- (ख) आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित स्वतंत्र उदाहरणों के संबंध में आपूर्ति का स्थान निर्धारित करें:

- (i) मिस पूर्वा, एक इंटीरियर डिजाइन सलाहकार, जिसका कार्यालय चेन्नई (तमिलनाडु) में है, ने श्री निहिल को पेशेवर सेवाएं प्रदान कीं जो दुबई में रहते हैं, उनकी दो अचल संपत्तियों के लिए एकल अनुबंध के तहत, एक संपत्ति सिंगापुर में, भारत से बाहर है और दूसरी सूरत (गुजरात) में। (ii) यूनाइटेड ट्रेडर्स, जिनके पास बेंगलुरु (कर्नाटक) में व्यापार का एक पंजीकृत स्थान है, वाइजग (आंध्र प्रदेश) पोर्ट के माध्यम से लंदन (यूके) से कोविड उपचार में उपयोग किए जाने वाले आयात किए गए उपकरण।

**ध्यान दें:** आपके उत्तर में कानून के प्रासंगिक प्रावधान का उल्लेख होना चाहिए। (4 अंक)

- (ग) सुप्रीम कार डेकोर ने जर्मनी से कार म्यूज़िक सिस्टम और जीपीएस डिवाइस का आयात किया। आयातक आपके विचारार्थ निम्नलिखित मुद्दे प्रस्तुत करता है:

- (i) 7 म्यूज़िक सिस्टम अनलोडिंग से पहले घुरा लिए गए थे और इससे पहले कि उचित अधिकारी ने घरेलू खपत के लिए मंजूरी का आदेश दिया हो।
- (ii) 10 जीपीएस उपकरणों को उतारने के बाद और उचित अधिकारी द्वारा घरेलू खपत की मंजूरी के आदेश देने से पहले घुरा लिया गया था।
- (iii) 30 म्यूज़िक सिस्टम को उतारने और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन हेतु जांच के बाद क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, लेकिन वास्तविक होम क्लीयरेंस से पहले।

सुप्रीम कार डेकोर्स उक्त वस्तुओं पर सीमा शुल्क पर प्रभाव के संबंध में कारण सहित आपकी विशेषज्ञ सलाह की मांग करते हैं।

(5 अंक)

उत्तर

(क)

क्र.सं.	ब्यौरा	कर देयता
(i)	डीम्ड विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों का परिवहन [कर योग्य क्योंकि किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली परिवहन सेवाओं पर तभी छूट दी जाती है जब ऐसे संस्था पूर्व-विद्यालय शिक्षा या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा प्रदान करती है।]	कर योग्य
(ii)	“रैंक सीबीएसई स्कूल” को दी जाने वाली खानपान सेवाएं [पूर्व-विद्यालय शिक्षा या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाएं छूट प्राप्त हैं।]	छूट
(iii)	साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित वार्षिक खेल दिवस के लिए “विन सीबीएसई स्कूल” के लिए सुरक्षा सेवाएं [पूर्व-विद्यालय शिक्षा या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाओं को छूट दी गई है, बशर्ते ऐसी सेवाएं ऐसी संस्था के परिसर में की जाती हैं। हालांकि, इस मामले में स्कूल परिसर के बाहर सुरक्षा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, और इसलिए वह कर योग्य है।]	कर योग्य
(iv)	अपने उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए स्कूल को ऑनलाइन आवधिक विज्ञान पत्रिका की आपूर्ति [कर योग्य है क्योंकि पूर्व-विद्यालय शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या समकक्ष तक की शिक्षा के माध्यम से सेवा प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान ऑनलाइन शैक्षिक पत्रिकाओं की आपूर्ति के संबंध में छूट के लिए पात्र नहीं हैं।]	कर योग्य
(v)	सरकारी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में छात्रों की प्लेसमेंट के संबंध में सेवाएं [कर योग्य क्योंकि व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के लिए केवल प्रवेश और परीक्षा आयोजित करने से संबंधित सेवाओं पर छूट है।]	कर योग्य

- (ख) (i) ऐसे मामले में जहां आपूर्तिकर्ता या सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान भारत से बाहर है, अचल संपत्ति के संबंध में सीधे प्रदान की जाने वाली इंटीरियर डेकोरेटर्स की सेवाओं की आपूर्ति का स्थान अचल संपत्ति का स्थान है। इसके अलावा, जहां ऐसी सेवाओं की आपूर्ति एक से अधिक स्थानों पर की जाती है, कर योग्य सीमा में एक स्थान सहित, उक्त सेवाओं की आपूर्ति का स्थान कर योग्य सीमा में अचल संपत्ति का स्थान है। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, सूरत (गुजरात) में स्थित अचल संपत्तियों के संबंध में श्री निहिल (दुबई में भारत के बाहर स्थित प्राप्तकर्ता) को प्रदान की जाने वाली मिस पूर्वा (भारत में स्थित

**पेपर – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून**  
(PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 11

इंटीरियर डिजाइन सलाहकार) सेवाओं की आपूर्ति का स्थान और सिंगापुर, कर योग्य सीमा, अर्थात् सूरत (गुजरात) में है।

- (ii) भारत में आयातित माल की आपूर्ति का स्थान आयातक का स्थान है। इस प्रकार दिए गए मामले में यूनाइटेड ट्रेडर्स द्वारा आयातित उपकरणों की आपूर्ति का स्थान बेंगलुरु (कर्नाटक) है।
- (ग) (i) अनलोडिंग से पहले चुराए गए म्यूज़िक सिस्टम पर शुल्क नहीं लगाया जाता है क्योंकि आयात शुल्क केवल तभी लगाया जाता है जब आयात पूरा हो जाता है; आयात तभी पूरा होता है जब माल देश के भीतर माल की मात्रा का हिस्सा बन जाता है।

हालांकि, यह भी देखा जा सकता है कि अनलोडिंग से पहले चुराए गए म्यूज़िक सिस्टम पर शुल्क देय है क्योंकि एक आयातक चोरी किए गए आयातित वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने का उत्तरदायी नहीं है, यदि ऐसे माल को उतारने के बाद चोरी किया जाता और उचित अधिकारी द्वारा आदेश देने से पहले घरेलू खपत के लिए मंजूरी।

- (ii) सुप्रीम कार डेकोर्स चोरी किए गए जीपीएस उपकरणों पर लगने वाले शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि एक आयातक उतराई के बाद और उचित अधिकारी द्वारा घरेलू खपत के निकासी हेतु आदेश देने से पहले किसी आयातित माल पर लगने वाले शुल्क का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी नहीं है।

- (iii) क्षतिग्रस्त आयातित वस्तु पर शुल्क में छूट मिलती है यदि ऐसे आयातित वस्तु अनलोडिंग के बाद गलती से लेकिन सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के लिए जांच से पहले क्षतिग्रस्त हो जाते हैं।

दिए गए मामले में, चूंकि सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के लिए जांच के बाद आयातित म्यूज़िक सिस्टम<sup>4</sup> क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी वस्तुओं पर शुल्क में छूट नहीं मिलेगी।

**प्रश्न 4**

- (क) जय एंड कंपनी, जीएसटी के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है जो कपड़े तैयार करने के लिए धागे बनाता है और उसने निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है:

अप्रैल 2021 के दौरान विभिन्न अंतरराज्यीय आपूर्ति की प्रकृति	आपूर्ति का मूल्य (जीएसटी को छोड़कर) (₹)
कपड़ों की जावक आपूर्ति (सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर प्रत्येक के लिए 2.5%)	30,00,000
रेयान यार्न के लिए आवक आपूर्ति (सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर प्रत्येक के लिए 6%)	24,00,000
यार्न के प्रसंस्करण के लिए सेवाओं की आवक आपूर्ति (सीजीएसटी और एसजीएसटी की दर प्रत्येक के लिए 2.5%)	4,00,000

<sup>4</sup> यह माना गया है कि आयातित म्यूज़िक सिस्टम का भंडारण नहीं किया गया है।

**फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021**  
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

प्रसंस्कृत यार्न से कपड़े तैयार करने की मशीनरी की आवक आपूर्ति (सीजीएसटी और एसजीएसटी की कर दर प्रत्येक के लिए 9%)	45,00,000
संस्था के ऊपर उल्लिखित जावक आपूर्ति के अलावा कोई आपूर्ति नहीं की है। ऊपर दिए गए सभी प्रकार की आवक आपूर्ति के संबंध में आईटीसी का दावा संबंधित जीएसटीआर 38 में क? या गया था और साथ ही जीएसटीआर 2ए में भी दर्शाया गया था।	
धनवापसी का दावा करने के लिए अन्य लागू शर्तों का विधिवत पालन किया जाता है।	

आपको उल्टे शुल्क संरचना (इनवर्टेड इयूटी स्ट्रक्चर) के लिए सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(5) के तहत योग्य 'अधिकतम रिफंड राशि' की गणना करनी है।

अपनी गणना के लिए वर्किंग नोट्स भी लिखें।

(5 अंक)

ध्यान दें – सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(3) या नियम 89(4) के तहत कोई रिफंड का दावा नहीं किया गया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दी गई स्वतंत्र स्थितियों में जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत होने के दायित्व पर टिप्पणी करें। आपके उत्तर में कानून के प्रासंगिक प्रावधान, अधिसूचनाएं या परिपत्र भी होने चाहिए।

(i) सुश्री रिद्धिमा विशेष रूप से राजस्थान राज्य से रेडीमेड कपड़ों के निर्यात का काम करती हैं और वर्ष के दौरान उनका निर्यात कारोबार 17 लाख रु. का है। निर्यात कारोबार के अलावा, उन्होंने बैंक एफडीआर पर 2 लाख रु. का ब्याज भी कमाया है।

(ii) अजंता एंटरप्राइजेज विशेष रूप से हरियाणा राज्य में जीएसटी के तहत छूट वाली वस्तुओं का व्यापार करता है और उसने जीएसटी पंजीकरण नहीं कराया है। वर्ष के दौरान, छूट आपूर्ति से इसने 47 लाख रु. का कारोबार किया और इसी वर्ष अजंता एंटरप्राइजेज ने 1.25 लाख रु. में पुराना जनरेटर भी बेचा।

(iii) श्री पी दो राज्यों में काम करते हैं, एक हरियाणा और दूसरा राजस्थान। वे सीमा का उल्लंघन किए बिना राजस्थान में पंजीकृत हैं। वर्ष के दौरान उन्होंने 32 लाख रु. का कारोबार किया और हरियाणा में 5 लाख रु. का कारोबार किया। क्या उन्हें अनिवार्य रूप से हरियाणा राज्य में भी पंजीकृत होना होगा?

(iv) श्री जॉन द्वितीयक बाज़ार से अपनी जिम्मेदारी पर शेरों की खरीद और बिक्री का कारोबार करते हैं और इस गतिविधि में उनकी आय का आकलन आयकर अधिनियम 1961 के तहत व्यावसायिक आय के रूप में किया जाता है। वर्ष के दौरान शेरों से उनका कुल बिक्री कारोबार 90 लाख रु. का था।

(4 अंक)

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के संदर्भ में उचित कानूनी प्रावधानों के साथ निम्नलिखित स्वतंत्र मामलों की वैधता तय करें:

(i) एपेक्स रबर लिमिटेड एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित एक 100% ईओयू है। इसने अपनी उत्पादन प्रक्रिया के लिए चीन से कुछ वस्तुओं का आयात किया। सीमा शुल्क अधिकारी ने ऐसे आयातों पर प्रति-पाटन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। आयातक का तर्क है कि किसी भी परिस्थिति में 100% ईओयू पर आयात पर कोई प्रति-पाटन शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

**पेपर – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून**  
**(PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 13**

- (ii) सीमा शुल्क विभाग ने कुछ वस्तुओं के संबंध में पूर्वव्यापी रूप से प्रति-पाटन शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा। आयातक संघ ने दावा किया है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रति-पाटन शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।

**(5 अंक)**

**उत्तर**

- (क) उल्टे शुल्क संरचना (इन्वर्टिड इयूटी स्ट्रक्चर) के आधार पर सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 89(5) के तहत अधिकतम वापसी राशि की गणना निम्नानुसार की जाती है -

$$\text{अधिकतम वापसी राशि} = \frac{\text{वस्तुओं और सेवाओं की इन्वर्टिड रेटेड सप्लाई का कारोबार} \times \text{शुद्ध आईटीसी}}{\text{समायोजित कुल कारोबार}} - \text{ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की इन्वर्टिड रेटेड सप्लाई पर देय कर}$$

जहां शुद्ध आईटीसी का अर्थ है आईटीसी केवल इनपुट पर लिया गया है

$$= \text{रु. } [(24,00,000 \times 6\%) \times 30,00,000 / 30,00,000] - [30,00,000 \times 2.5\%] \text{ (सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों के लिए)}$$

$$= \text{रु. } 69,000$$

इसलिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों के लिए अधिकतम वापसी राशि 69,000/- रु. है।

ध्यान दें: इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं पर भुगतान किए गए कर की वापसी इन्वर्टिड इयूटी स्ट्रक्चर के आधार पर संचित आईटीसी की वापसी का हिस्सा नहीं है।

- (ख) (i) वस्तुओं के निर्यात को अंतर-राज्यीय आपूर्ति माना जाता है।  
 सुश्री रिद्धिमा अपने कुल कारोबार की मात्रा से निरपेक्ष अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने की उत्तरदायी हैं क्योंकि वह वस्तुओं<sup>5</sup> की अंतरराज्यीय आपूर्ति (निर्यात) करने का काम करती हैं।
- (ii) कोई भी व्यक्ति जो विशेष रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति का काम करता है, उसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अजंता एंटरप्राइजेज के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है क्योंकि इसने वर्ष के दौरान छूट वाली आपूर्ति के साथ कर योग्य आपूर्तियां भी की हैं और इसका कुल कारोबार (48.25 लाख रु.) पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा से अधिक है।
- (iii) चूंकि जीएसटी में पंजीकरण पैन के साथ ही होता है, जब कोई आपूर्तिकर्ता पंजीकरण के योग्य होता है, तो उसे प्रत्येक राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण कराना होता है, जो एक ही पैन नंबर के अधीन काम करता है। इसलिए, श्री पी को हरियाणा में भी पंजीकरण कराना होगा, बशर्ते वह विशेष रूप से हरियाणा से छूट प्राप्त आपूर्ति का काम न करते हों।  
 हालांकि, यह भी देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा से एक राज्य में पंजीकरण करा चुका है उसे अन्य राज्यों में पंजीकरण कराने की आवश्यकता है जहां से वह कर योग्य आपूर्ति करता है, यदि उसका कुल कारोबार पंजीकरण के लिए मान्य सीमा से अधिक है। उस मामले में, श्री पी के लिए हरियाणा में पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है क्योंकि कुल कारोबार पंजीकरण के लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।
- (iv) एक आपूर्तिकर्ता के लिए उस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में पंजीकरण करना अनिवार्य है जहां से वह वस्तुओं और/या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करता है। शेरों को वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं की परिभाषा से बाहर रखा गया है। इसलिए, शेरों की खरीद और बिक्री जीएसटी कानून के तहत वस्तुओं

<sup>5</sup> यह मान लिया गया है कि वस्तुओं की निर्यातक- सुश्री रिद्धिमा- ने जीएसटी के तहत मिलने वाले निर्यात लाभों का उपयोग किया है।

**पेपर – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून**  
**(PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 15**

और/ या सेवाओं की आपूर्ति नहीं है। इसलिए, श्री जॉन के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है क्योंकि वह वस्तुओं और/या सेवाओं की कर योग्य आपूर्ति करने में संलग्न नहीं है।

**(ग) (i) आयातक का तर्क आंशिक रूप से सही है।**

100% ईओयू द्वारा किए गए आयात पर प्रति-पाटन शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि, निम्नलिखित परिस्थितियां इसके अपवाद हैं:

- (i) जहां इसे विशेष रूप से ऐसी अधिसूचनाओं या ऐसे आरोपण, जैसा भी मामला हो, में लागू किया जाता है; या
  - (ii) जहां आयातित ऐसी वस्तु को या तो डीटीए के रूप में मंजूरी दे दी जाती है या किसी ऐसी वस्तु के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है जिसे डीटीए में मंजूरी दी जाती है, और ऐसे मामलों में इस प्रकार से मंजूर की गई वस्तु या उपयोग में लाई गई वस्तु के उस हिस्से पर प्रति-पाटन शुल्क लगाया जाएगा जब उसे भारत में आयात करने के समय प्रभारित करने योग्य था।
- (ii) आयातक संघ का दावा उचित नहीं है। यदि केंद्र सरकार की राय है कि ऐसी अधिसूचना की तिथि से 90 दिनों से अधिक नहीं, पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रति-पाटन शुल्क लगाया जा सकता है:
- (क) डंपिंग का इतिहास है जिससे हानि हुई है या आयातक को इस बात की जानकारी थी या होनी चाहिए था कि निर्यातक डंपिंग करता है और इस प्रकार के डंपिंग से क्षति होगी और
  - (ख) हानि, अपेक्षाकृत बहुत कम समय में आयात की गई वस्तु के बड़े पैमाने पर डंपिंग के कारण होती है जो डंप किए गए आयातित वस्तु के समय और मात्रा एवं अन्य परिस्थितियों के कारण लगाए जाने वाले एंटी-डंपिंग शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव को गंभीर रूप से कमजोर करने की संभावना है।

**प्रश्न 5**

- (क) मेसर्स फ्लार्ड-बार्ड-नाइट ट्रेडर्स, कर योग्य निकाय, ने 15 अप्रैल 2021 को एक इनवॉइस जारी किया जिसमें मेसर्स रनअवे ट्रेडर्स को 25 लाख रु. का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) शामिल था, जिन्होंने इसका उपयोग किया था। दोनों व्यापारियों के बीच इस लेन-देन में माल की कोई आपूर्ति नहीं हुई थी। मेसर्स फ्लार्ड-बार्ड-नाइट ट्रेडर्स ने अपने सलाहकार, जो एक योग्य पेशेवर नहीं था, के कहने पर यह लेन-देन किया था। प्रासंगिक प्रावधान की संक्षिप्त व्याख्या करें और उपरोक्त संदर्भित लेनदेन के संबंध में शामिल व्यक्तियों पर लागत अधिनियम, 2017 के तहत लगाए जाने वाली जुर्माना राशि, यदि हो, का निर्धारण करें। **(5 अंक)**
- (ख) मार्च 2021 के माह में, ऑल्वेज़ राइट प्रा. लिमि. की सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के तहत विभागीय जीएसटी लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा टीम ने पाया कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) क? तहत कंपनी द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवरुद्ध कर दिया गया था। मेमो में उल्लिखित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उत्तर देने हेतु कंपनी को लेखापरीक्षा ज्ञापन दिया गया था। कंपनी ने यह तर्क देते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत किया कि उक्त क्रेडिट धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध नहीं था और उसका सही दावा किया गया था। विभाग कंपनी के उत्तर से संतुष्ट नहीं था। लेखापरीक्षा टीम ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत कारण बताओ नोटिस दिया और मामले को न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास भेज दिया एवं गलत तरीके से प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की वसूली हेतु सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 78 और 79 के तहत वसूली प्रक्रिया भी शुरू कर दी।



**फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021**  
(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)

क्या जीएसटी कानून के कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में धनराशि की वसूली हेतु विभागीय कार्रवाई उचित है, अपने विचार बताएं। (4 अंक)

(ग) श्री एक्स, भारतीय नागरिक, 3 माह तक फ्रांस का दौरा करने के बाद 10.04.2021 को भारत वापस लौटे। भारत लौटने पर, उनके साथ निम्नलिखित वस्तुएं थीं:

- (i) इस्तेमाल किए गए व्यक्तिगत सामान जैसे कपड़े आदि जिसका मूल्य 1,75,000 रु.
- (ii) 1,20,000 रु. का म्यूज़िक सिस्टम
- (iii) श्री 'एक्स' अपने साथ 1,30,000 रु. के आभूषण, जिनका वजन 20 ग्राम था, लाए थे।
- (iv) 1,20,000 रु. मूल्य का लैपटॉप
- (v) वाइन, 1 लीटर, मूल्य 6,000 रु.
- (vi) मोबाइल फोन, मूल्य 50,000 रु.

आपको बैंगेज नियम, 2016 के तहत बैंगेज के कर योग्य मूल्य का निर्धारण करना है। (5 अंक)

**उत्तर**

(क) जहां एक कर योग्य व्यक्ति:

(क) माल की आपूर्ति के बिना कोई चालान जारी करता है, या

(ख) पूरी तरह या आंशिक रूप से माल की वास्तविक प्राप्ति के बिना आईटीसी लेता/ उपयोग करता है, जीएसटी कानून के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन/ विपरीत में, ऐसा व्यक्ति जुर्माना देने का उत्तरदायी होगा

(i) 10,000 रु.

या

(ii) आईटीसी के बराबर राशि का लाभ उठाया या पारित किया (25 लाख रु.), जो भी अधिक हो।

इसलिए, मेसर्स फ्लाई-बाई-नाइट ट्रेडर्स और मेसर्स रनअवे ट्रेडर्स, दोनों को 25- 25 लाख रु. का जुर्माना देना होगा।

इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह पर उपरोक्त लेनदेन किए जाते हैं, उस पर आईटीसी के बराबर राशि का जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए, कर सलाहकार 25 लाख रु. का जुर्माना देने का उत्तरदायी होगा।

(ख) बिना अधिनिर्णय आदेश पारित किए वसूली कार्यवाही प्रारंभ करने की विभाग की कार्रवाई वैध नहीं है।

जीएसटी कानून के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सकती है यदि कोई कर योग्य निकाय इस प्रकार के आदेश दिए जाने की तिथि से 3 माह (या उचित अधिकारी द्वारा कम अवधि) की अवधि के भीतर इस कानून के तहत पारित आदेश के अनुसरण में देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

हालांकि, दिए गए मामले में, कारण बताओं नोटिस की तामील करने और मामले को न्यायनिर्णायक अधिकारी को स्थानांतरित करने के बाद ही वसूली की कार्यवाही शुरू की गई है। दिए गए मामले में निर्णय आदेश अभी तक पारित नहीं किया गया है।

(ग) बैंगेज के कर योग्य मूल्य की गणना

प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं [शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति है।] म्यूज़िक सिस्टम	शून्य  1,20,000
---	-----------------------

**पेपर – 8: अप्रत्यक्ष कर कानून**  
(PAPER – 8: INDIRECT TAX LAWS) 17

आभूषण	1,30,000
[श्री एक्स को शुल्क मुक्त आभूषण भत्ता नहीं मिल सकता क्योंकि वे 1 वर्ष से अधिक समय से विदेश में नहीं रह रहे थे।]	
लैपटॉप <sup>6</sup>	शून्य
[यदि 18 वर्ष $\geq$ की आयु के एक यात्री द्वारा भारत में एक लैपटॉप कंप्यूटर आयात करने पर छूट मिलती है]	
1 लीटर वाइन	6,000
[सामान्य निःशुल्क भत्ता में समायोजित किया जा सकता है।]	
मोबाइल फोन	50,000
कुल मान	3,06,000
घटाएं 50,000 रु. का सामान्य शुल्क सामान भत्ता	50,000
<b>सामान का कर योग्य मूल्य</b>	<b>2,56,000</b>

**प्रश्न 6**

(क) उम्मीदवारों को या तो भाग (i) या भाग (ii) का उत्तर देना है।

(i) सीजीएसटी नियम, 2017 के तहत एक एजेंट द्वारा बनाए जाने वाले किन्हीं चार रिकॉर्डों की सूची बनाएँ।  
(4 अंक)

**या**

(ii) सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत अन्यायपूर्ण संवर्धन का सिद्धांत लागू नहीं होने पर किन्हीं चार अपवादों की सूची बनाएँ।  
(4 अंक)

(ख) मुनाफा-रोधी प्राधिकरण (एंटी-प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी) के महानिदेशक, यह निर्धारित करते हैं कि एक पंजीकृत व्यक्ति, ने जीएसटी कर दरों में कमी के लाभों को आगे नहीं बढ़ाया है। उन विभिन्न संभावित आदेशों की सूची बनाएं जो कथित प्राधिकारी द्वारा उपरोक्त निष्कर्ष हेतु पारित किए जा सकते हैं।  
(5 अंक)

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 74 के तहत वापसी की हकदार नहीं होने वाली वस्तुओं (विशिष्ट शर्तों के साथ) की सूची बनाएं।  
(5 अंक)

**उत्तर**

(क) (i) प्रत्येक एजेंट निम्नलिखित को दर्शाने वाले खतों का रख-रखाव करेंगे-

- (क) प्रत्येक मुखिया की ओर से वस्तु या सेवाओं को प्राप्त करने या उनकी आपूर्ति करने हेतु प्रत्येक मुखिया से उनके द्वारा प्राप्त प्राधिकरण का विवरण;
- (ख) प्रत्येक मुखिया की ओर से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं का विवरण, मूल्य एवं मात्रा (जहां लागू हो) समेत विवरण;
- (ग) प्रत्येक मुखिया की ओर से प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं का विवरण, मूल्य और मात्रा (जहां लागू हो) समेत विवरण;

<sup>6</sup> यह सबसे तार्किक रूप से मान लिया गया है कि श्री एक्स की आयु  $\geq 18$  वर्ष है।

**फाइनल (नई) परीक्षा: दिसंबर, 2021**  
**(FINAL (NEW) EXAMINATION: DECEMBER, 2021)**

- (घ) प्रत्येक मुखिया को दिखाए गए प्रत्येक खाते का विवरण; और
- (ङ) प्रत्येक मुखिया की ओर से प्राप्तियों या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर भुगतान किया गया कर।
- (ii) निम्नलिखित मामलों में अन्यायपूर्ण संवर्धन लागू नहीं है:
- (क) निर्यात पर या ऐसे निर्यात करने में प्रयुक्त इनपुट/ इनपुट सेवाओं पर भुगतान किए गए कर की वापसी;
- (ख) कर के भुगतान के बिना किए गए शून्य- रेटेड आपूर्ति के मामले में अप्रयुक्त आईटीसी की वापसी या इन्वर्टिड इयूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित आईटीसी;
- (ग) एक आपूर्ति पर भुगतान किए गए कर की वापसी, जो पूर्ण या आंशिक रूप से प्रदान नहीं की गई है और जिसके लिए चालान जारी नहीं किया गया है या जहां धनवापसी वाउचर जारी किया गया है;
- (घ) एक अंतर-राज्यीय आपूर्ति के रूप में माने जाने वाले लेन-देन पर भुगतान किए गए कर की वापसी, लेकिन जिसे बाद में अंतर-राज्यीय आपूर्ति या इसके विपरीत माना जाता है;
- (ङ) कर और ब्याज, यदि कोई हो, या आवेदक द्वारा भुगतान की गई कोई अन्य राशि, यदि उसने ऐसे कर एवं ब्याज किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया था;
- (च) ऐसे अन्य वर्ग के आवेदकों द्वारा वहन किया जाने वाला कर या ब्याज, जैसा कि सरकार, परिषद की अनुशंसा पर, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट कर सकती है।
- (ख) जहां प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि एक पंजीकृत व्यक्ति ने लाभ आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है, वह आदेश दे सकता है-
- (क) मूल्यों में कमी;
- (ख) प्राप्तकर्ता को वापस, राशि के बराबर राशि जो मूल्यों के आनुपातिक कमी के रूप में 18% की दर से ब्याज के साथ आगे नहीं बढ़ाई गई है या ब्याज सहित राशि की वसूली नहीं की गई है, जैसा भी मामला हो,
- (ग) उपरोक्त उपनियम के तहत निर्धारित राशि के 50% के बराबर राशि को 18% की दर से ब्याज के साथ और शेष 50% राशि को संबंधित राज्य के उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा करना, जहां योग्य व्यक्ति राशि की वापसी का दावा नहीं करता या योग्य व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती है।
- (घ) निर्धारित जुर्माने का अधिरोपण; तथा
- (ङ) जीएसटी के तहत पंजीकरण रद्द करना।
- ध्यान दें- छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे 'मुनाफा-रोधी प्राधिकरण के महानिदेशक' को 'मुनाफा-रोधी प्राधिकरण' पढ़ें।
- (ग) जहां आयातित माल का उपयोग होने के बाद निर्यात किया जाता है, वहां कम दरों पर शुल्क वापसी होगी। हालांकि, निम्नलिखित आयातित वस्तुओं के निर्यात के मामले में, वे भारत में उनके आयात के बाद उपयोग किए जाने पर शुल्क वापसी के हकदार नहीं हैं। यदि उपयोग नहीं किया जाता है तो वे 98% ड्रॉबैक के हकदार होंगे:
- (i) परिधान;
- (ii) टी चेस्ट;
- (iii) एक्सपोज़्ड सिनिमैटोग्राफ फ़िल्मों को भारत में फ़िल्म सेंसर बोर्ड द्वारा पारित किया गया।
- (iv) अनएक्सपोज़्ड फोटोग्राफिक फ़िल्में, पेपर और प्लेट्स और एक्स- रे फ़िल्म्स।